न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– रोहिताश्व सिंह तोमर (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 30/2025

बउनवान

पदमचन्द सहरिया पुत्र बाबूलाल सहरिया निवासी ओगड, आगर तह० शाहाबाद जिला बारां, राज0 **(अपीलांट)**

बनाम

जिला रसद अधिकारी, बारां जिला बारां (राज.) **(रेस्पोंडेंट)**

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 25.04.2025 बउनवान जिला रसद अधिकारी, बनाम पदमचंद प्राधिकार पत्र सं. 64/13 अपील अंतर्गत धारा 22 राज. खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :–1. श्री बृजमोहन गोयल अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार रसद (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 18.02.2026

1– अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट पोष कोड 28655 को ग्राम अमरोद ग्राम पंचायत आगर तह० शाहाबाद जिला बारां के लिए उचित मूल्य दुकानदार राशन वितरण हेतु अधिकृत कर रखा है। ग्राम वासियों द्वारा विभागिय पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई कि 3 माह से गेहूँ का वितरण नहीं किया गया है और उक्त शिकायत के आधार पर दिनांक 04.12.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अस्थायी रूप से अपीलान्ट का लाइसेंस निलंबित किया गया और कारण बताओ नोटिस दिनांक 07.11.2024 को जारी किया गया जिसका अपीलान्ट द्वारा दिनांक 20.01.2025 को जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि विभागीयं पोर्टल के अनुसार एनएफएसए गेहूँ का स्टॉक 36077.250 किग्रा पोष मशीन में शेष है जिसका वितरण पूर्व में ही किया जा चुका है तथा भौतिक रूप से अपीलान्ट के पास गेहूँ उपलब्ध नही है। रसद विभाग के द्वारा अपीलान्ट को प्रतिमाह 58–60 क्विंटल के स्थान पर 9 क्विंटल व 15–15 क्विंटल गेहूँ का ही आवंटन किया गया और अपीलान्ट ने लडाई–झगडा होने की सम्भावना को देखते हुए उक्त गेहूँ का वितरण नहीं कर पाया, तथा विभाग को कहा कि गेहूँ कम आया है और जब गेहूँ की आपूर्ति पूर्ण हो जाएगी तब वह गेहूँ वितरण कर देगा अन्यथा कम गेहूँ वितरण होने पर किसी को गेहूँ मिलेगा और किसी को नही मिलेगा इस पर लडाई–झगडा हो जाएगा परन्तु अपीलान्ट की बात पर कोई ध्यान नही दिया गया और उसे शेष गेहूँ का आवंटन नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ही गेहूँ का वितरण समय पर नही होने के कारण ग्रामवासियों के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत दर्ज करवाई गई है जबकि अपीलान्ट द्वारा गेहूँ वितरण में कोई अनियमितता नही बरती गई है। अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार से कोई गेहूँ का गबन नहीं किया गया है और ना ही जॉच अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को जॉच के दोरान देखा गया और न ही इस तरह की कोई साक्ष्य आई है कि अपीलान्ट ने गेहूँ का ब्लेक मार्केटिंग की हो। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर रसद विभाग का निर्णय दिनांक 25.04.2025 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र 64/13 को बहाल कर खाद्यान्न एवं आपूर्ति विभाग के पत्र कमांक 24 02.2020 के अनुसार गेहूँ के पेठे 5,94,000/– रूपये की वसूली निरस्त किये जाने की कृपा करें।

2– अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में जिला रसद अधिकारी, बारां से अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.24 11:15:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

4. यह कि रसद विभाग के द्वारा अपीलान्ट को प्रतिमाह 58–60 क्विंटल के स्थान पर 9 क्विंटल व 15–15 क्विंटल गेहूँ का ही आवंटन किया गया और अपीलान्ट ने

3— बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर उक्त आदेश की धारा 8(2) का उल्लंघन करते हुए अपीलांट का प्राधिकार पत्र अपीलाधीन आदेश से निरस्त कर दिया जो खिलाफ कानून होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस दिनांक 07.11.2024 को जारी करना अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली में अंकित किया है परंतु अपीलांट को उस नोटिस की कोई तामील नहीं हुई तथा दिनांक 25.11.2024 को अपीलांट को अनुपस्थित बताते हुए उसका प्राधिकार पत्र निलंबित कर अपीलांट को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 10.01.2025 को नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 20.01.2025 नियत की गयी। अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि विभागीय पोर्टल अनुसार एनएफएसए गेंहू का स्टॉक 36077.25 किग्रा. पॉश मशीन में अवशेष है जिसका वितरण अपीलांट द्वारा पोश मशीन खराब होने के कारण ऑफलाईन किया जा चुका है तथा भौतिक रूप से अपीलांट के पास गेंहू उपलब्ध नहीं है। जांच अधिकारी ने अपीलांट द्वारा ऑफलाईन किये गये वितरण बाबत उपभोक्ताओं से पूछताछ नहीं की गयी है। तथा अवशेष स्टॉक का गबन मानकर यह कार्यवाही की है जो निरस्तनीय है। अपीलांट गरीब सहरिया है तथा अपना व अपने परिवार का पेट पालन इसी उचित मूल्य दुकान से कर रहा है। अपीलांट की आमदनी का अन्य कोई साधन नहीं होने से उसे परिवार के पालन पोषण में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करें।

4— इसके विपरीत पेरोकार रसद ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करने हेतु निवेदन किया कि अपीलांट को विधिवत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलांट अधीनस्थ कार्यालय में उपस्थित रहा तथा अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस भी प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार अधीनस्थ कार्यालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है तथा उनके द्वारा नियमानुसार ही अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार रसद की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र बिना सुनवाई किये निरस्त कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 8 (2) का उल्लंघन किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा दिनांक 07/11/2024 को अपीलांट को सनुवाई हेतु नोटिस जारी किया गया परंतु जारी नोटिस की तामीलशुदा प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। तथा दिनांक 25.11.2024 को अपीलांट को अनुपस्थित मानकर उसका प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25/11/2024 अनुसार अपीलान्ट को व्यक्तिगत सुनवायी हेतु तलब किया गया। अपीलांट ने इसकी पालना में जवाब नोटिस दिनांक 20.01.2025 को पेश किया तथा पोश मशीन खराब होने से गेंहू का वितरण ऑफलाईन करना अंकित किया, परंतु अधीनस्थ कार्यालय द्वारा ऑफलाईन वितरण करने नहीं करने के संबंध में कोई जांच नहीं की। इससे अपीलांट का यह कथन प्रमाणित है कि बिना सुनवायी का अवसर दिये अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 64/2013 को निरस्त किया गया है। अधीनस्थ कार्यालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर नहीं देकर, प्राधिकार पत्र निरस्त कर त्रुटि की है।

6— अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ कार्यालय जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा अपीलांट के विरूद्व जारी प्राधिकार पत्र निरस्तीकरण आदेश दिनांक 25.04.2025 तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र संख्या 64/2013 बहाल किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला रसद अधिकारी, बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.03.24 11:15:21 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि रसद विभाग के ... उपलब्ध नहीं है।